कार्यालयः जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), हरिद्वार।

पत्रांकः प्र0रा0बे0/ 2057-61 /वा0स्था0/2024-25 दिनांक 15 जुलाई 2024

विज्ञप्ति/सूचना

शासनादेश संख्याः 1016/XXIV-B-1/24/07(04)/2016 दिनांक 04 जुलाई 2024 के द्वारा विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत समस्त शिक्षकों के वार्षिक स्थानान्तरण काउंसलिंग के माध्यम से किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है, उक्त के क्रम में जनपद हरिद्वार में जनपदान्तर्गत प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के पात्र शिक्षकों की काउंसलिंग कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0), हरिद्वार में आयोजित की जानी है। जिसमें सम्बन्धित शिक्षक-शिक्षिकाओं द्वारा आर0टी0ई0 मानकानुसार राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष काउंसलिंग के माध्यम से विकल्प प्रस्तुत किये जा सकेंगे। सम्बन्धित शिक्षक-शिक्षिकाएं अपनी श्रेणी के अनुसार निम्नांकित सारणी के स्तम्भ-2 में अंकित तिथि के अनुसार काउंसलिंग स्थल पर प्रातः 10 बजे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) हरिद्वार में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। सम्बन्धित शिक्षक/ शिक्षिका काउंसलिंग के दिन अपने साथ विभागीय पोर्टल की प्रति एवं आधार कार्ड की मूल प्रति अवलोकित कराना सुनिश्चित करेंगे। शिक्षक-शिक्षकाओं के श्रेणीवार आवेदन जो विकासखण्ड़ो से प्राप्त हुए है, उनकी पात्रता सूची श्रेणीवार विभाग की वेबसाईट www.schooleducation .uk.gov.in पर अपलोड की जा रही है। यदि कोई शिक्षक-शिक्षिका उक्त तिथि को विलम्ब से उपस्थित होते है अथवा अनुपस्थित रहते है, तो ऐसी स्थिति में पात्रता सूची में अंकित अगले शिक्षक को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार विद्यालय आंवटित कर दिया जायेगा। सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम श्रेणी में अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता सूची में 15 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत सम्मिलित शिक्षक की काउंसलिंग प्रक्रिया में अनुपस्थिति की दशा में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में उल्लिखित प्राविधानानुसार स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। काउंसलिंग हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।

काउंसलिंग समय-सारणी सहायक अध्यापक

क्र0सं0	तिथि एवं समय	स्थानान्तरण की श्रेणी	पद नाम
1	2	3	4
1	दिनांक 18.07.2024 समय पूर्वाहन् 10:00 बजे	अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम श्रेणी	1. प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0 2. स0अ0 रा0प्रा0वि0 3. प्रधानाध्यापक रा0उ0प्रा0वि0 4. स0अ0 रा0उ0प्रा0वि0
2.	दिनांक 19.07.2024 समय पूर्वाहन् 10:00 बजे	अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण (समस्त श्रेणी)	1. प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0 2. स0अ0 रा0प्रा0वि0 3. प्रधानाध्यापक रा0उ0प्रा0वि0 4. स0अ0 रा0उ0प्रा0वि0
3.	दिनांक 20.07.2024 समय पूर्वाहन् 10:00 बजे	अनिवार्य स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम श्रेणी	1. प्रधानाध्यापक रा0प्रा0वि0 2. स0अ0 रा0प्रा0वि0 3. प्रधानाध्यापक रा0उ0प्रा0वि0 4. स0अ0 रा0उ0प्रा0वि0

15/07/24

(आशुतोष भण्डारी)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
हरिद्वार।

पृ0सं0: प्रा0शि0/ /वा0स्थाना0/2024-25 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः निम्नांकित की सेवा सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड़ देहरादून।
2. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार।
4. समस्त उपशिक्षा अधिकारी जनपद हरिद्वार।
5. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक रा0प्रा0वि0/रा0उ0प्रा0 विद्यालय जनपद हरिद्वार। (द्वारा उपशिक्षा अधिकारी)

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
हरिद्वार।